



जनपद शामली पुलिस



--सोशल मीडिया सेल शामली--

प्रेस विज्ञप्ति

दिनांक 14.09.2024

थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में बाल अपचारी हिरासत में-

आज दिनांक 14.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे महिलाओं के विरुद्ध अपराध की रोकथाम एवं महिला अपराधों से संबंधित वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन तथा क्षेत्राधिकारी नगर के निकट पर्यवेक्षण में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा युवती को बहला फुसला कर ले जाने के मामले में वांछित बाल अपचारी को हिरासत में लेने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है, जिसके सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

ज्ञात हो कि थाना कोतवाली शामली क्षेत्रान्तर्गत युवती को बहला फुसलाकर ले जाने के सम्बन्ध में पीडिता के परिजन द्वारा दिनांक 22.08.2024 को थाना कोतवाली शामली पर लिखित तहरीर दी थी। दाखिला तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था।

हिरासत में लेने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 श्री ओमवीर सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.का0 ललित कुमार थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.म0है0का0 सोनिया थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त गिरफ्तार :-

आज दिनांक 14.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए जा रहे जिलाबदर अपराधियों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी थानाभवन के निकट पर्यवेक्षण में थाना गढीपुख्ता पुलिस द्वारा 01 जिलाबदर अभियुक्त कामिल उर्फ मामडी पुत्र इदरीश निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली को सत्यापन की कार्यवाही में गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी के सम्बन्ध में थाना गढीपुख्ता पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्त को जिलाधिकारी शामली के आदेश दिनांक 21.03.2024 से 06 माह के लिये जिलाबदर घोषित किया गया था।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त-

1. कामिल उर्फ मामडी पुत्र इदरीश निवासी ग्राम गुराना थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

आपराधिक इतिहास गिरफ्तार अभियुक्त-

1. मु0अ0सं0 098/2024 धारा 10 उत्तर प्रदेश गुन्डा अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

2. मु0अ0सं0 115/2020 धारा 3/5/8 गौवध अधिनियम थाना गढीपुख्ता जनपद शामली।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री सुनील कुमार थाना गढीपुख्ता शामली जनपद शामली।

2. है0का0 ललित कुमार थाना गढीपुख्ता शामली जनपद शामली।

3. का0 सनोज कुमार थाना गढीपुख्ता शामली जनपद शामली।



थाना कैराना पुलिस द्वारा चोरी की घटनाओं में शामिल 02 चोर गिरफ्तार, कब्जे से चोरी की मोटरसाईकिल के पार्टस, चोरी किया हुआ बकरा व चोरी की घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल बरामद:-

ज्ञात हो कि दिनांक 19.05.2024 को वादी श्री सावेज पुत्र शमीम निवासी मौहल्ला आर्यपुरी थाना कैराना जनपद शामली ने अज्ञात चोरों द्वारा अपनी मोटरसाईकिल कांधला अड्डे से चोरी होने के सम्बन्ध में थाना कैराना व वादी प्रवेज पुत्र शफीक मौहल्ला दुधियान थाना कांधला जनपद शामली ने अज्ञात चोरों द्वारा घर से बकरा चोरी करने के सम्बन्ध में थाना कांधला पर तहरीर दाखिल की गई थीं । दाखिला तहरीर के आधार पर सम्बन्धित थानों पर सुसंगत धाराओं मे अभियोग पंजीकृत किये गये थे ।

इसी क्रम में आज दिनांक 14.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री राम सेवक गौतम के आदेशानुसार चलाये जा रहे संदिग्ध वाहन/व्यक्ति की चैकिंग अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी कैराना के कुशल नेतृत्व में थाना कैराना पुलिस द्वारा 02 चोरों को चोरी की मोटरसाईकिल के पार्टस व चोरी किये हुये बकरे व चोरी की घटना में प्रयुक्त मोटरसाईकिल सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है । गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कैराना पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है ।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.बिलाल उर्फ बिल्ला पुत्र जाहिद निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कांधला जनपद शामली ।
- 2.आसिफ उर्फ घोलू पुत्र नासिर निवासी मौहल्ला गुजरान थाना कांधला जनपद शामली ।

बरामदगी का विवरण:-

- 1.चोरी की मोटरसाईकिल के पार्टस व नम्बर प्लेट (UP19S0651)
- 2.चोरी किया हुआ बकरा ।
- 3.घटना मे प्रयुक्त मोटरसाईकिल(रजि नं0 HR01K2421)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 सन्दीप कालखण्डे थाना कैराना जनपद शामली ।
- 2.उ0नि0 दीपचन्द थाना कैराना जनपद शामली ।
- 3.है0का0 कुलवन्त थाना कैराना जनपद शामली ।
- 4.है0का0 मनीष थाना कैराना जनपद शामली ।



थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा अभियुक्त गिरफ्तार, कब्जे से अवैध कच्ची शराब बरामद:-

आज दिनांक 14.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली श्री रामसेवक गौतम के आदेशानुसार चलाए गये अवैध शराब के अपराध में लिप्त अपराधियों की गिरफ्तारी/बरामदगी अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक शामली के निर्देशन एवं क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल नेतृत्व में थाना कोतवाली शामली पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त को 10 लीटर अवैध कच्ची शराब सहित गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। गिरफ्तारी एवं बरामदगी के सम्बन्ध में थाना कोतवाली शामली पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

1.सोनू पुत्र चन्दर निवासी ग्राम काबडौत थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।

बरामदगी का विवरण:-

1.अवैध 10 लीटर कच्ची शराब।

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम:-

- 1.उ0नि0 बाबूराम सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 2.है0का0 ज्ञानेन्द्र सिंह थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 3.है0का0 रविन्द्र तोमर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।



थाना कांधला, झिंझाना, बाबरी व कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारण्टी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार:-

आज दिनांक 14.09.2024 को पुलिस अधीक्षक शामली के आदेशानुसार चलाए जा रहे वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों की गिरफ्तारी अभियान के क्रम में थाना कांधला, झिंझाना, बाबरी व कोतवाली शामली पुलिस द्वारा वांछित/वारंटी/एनबीडब्ल्यू अभियुक्तों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 07 एनबीडब्ल्यू/वारण्टी अभियुक्त को गिरफ्तार करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। अभियुक्तों की गिरफ्तारी के संबंध में सम्बन्धित थाने पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही की जा रही है।

नाम व पता गिरफ्तार अभियुक्त:-

- 1.सोमपाल पुत्र सभाचन्द निवासी ग्राम नानूखेडा थाना कांधला जनपद शामली।
- 2.जाबिर पुत्र असगर निवासी ग्राम मलकपुर थाना कांधला जनपद शामली।
- 3.अरशद पुत्र सलीम उर्फ निन्ना निवासी मौहल्ला सरवरपीर थाना कोतवाली शामली जनपद शामली।
- 4.मोहित शर्मा पुत्र अशोक शर्मा निवासी मौहल्ला सैनी मुल्लाना थाना मुल्लाना जनपद अम्बाला।
- 5.वीरेन्द्र पुत्र रिसाल सिंह निवासी मौहल्ला शिवपुरी ऊन थाना झिंझाना जनपद शामली।
- 6.सौरभ पुत्र रामवीर निवासी नाला थाना कांधला जनपद शामली।
- 7.मिन्टू पुत्र चन्द्रपाल निवासी ग्राम रायपुर थाना बाबरी जनपद शामली।



SOCIAL MEDIA CELL SHAMLI